भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **तारांकित प्रश्न सं. *27**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 21 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात में तमिलनाडु की भागीदारी

***27. श्री जी. सेल्वम :**

डॉ. रानी श्रीकुमार:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के समग्र वस्तु व्यापार और सेवा निर्यात में तमिलनाडु के योगदान का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान ऑटोमोबाइल, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिकी, चमड़ा उत्पादों और इंजीनियरिंग वस्तुओं सहित भारत के कुल निर्यात में तमिलनाडु की क्षेत्र-वार भागीदारी कितनी है;

(ग) क्या तमिलनाडु देश के एक अग्रणी निर्यातक राज्य के रूप में उभरा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा तमिलनाडु की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए राज्य में निर्यात अवसंरचना, संभारतंत्र, पत्तनों, औद्योगिक गलियारों और व्यापार करने में सुगमता को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान तमिलनाडु में निर्यातकों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता, प्रोत्साहनों और निर्यात संवर्धन योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड.) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

'निर्यात में तमिलनाडु की भागीदारी' के संबंध में दिनांक 21.07.2026 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *27 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान मोटर वाहन/कार, वस्त्र और संबद्ध उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, चमड़ा और चमड़े से निर्मित वस्तुएं और इंजीनियरिंग सामान सहित भारत के कुल निर्यात में तमिलनाडु की भागीदारी सहित देश के समग्र पण्यवस्तु निर्यात में तमिलनाडु के योगदान का विवरण, क्षेत्र-वार, नीचे दिया गया है:

(निर्यात मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

		तमिलनाडु का निर्यात			भारत के निर्यात में तमिलनाडु की भागीदारी (% में)		
क्र. सं.	**क्षेत्र**	**वित्त वर्ष 24**	**वित्त वर्ष 25**	**वित्त वर्ष 26**	**वित्त वर्ष 24**	**वित्त वर्ष 25**	**वित्त वर्ष 26**
1	मोटर वाहन/कार	3,028.12	3,146.92	3,701.14	36.68	34.95	33.38
2	वस्त्र और संबद्ध उत्पाद	7,362.80	8,285.99	8,260.69	21.38	22.74	23.13
3	इलेक्ट्रॉनिक्स	9,562.56	14,652.06	19,966.70	32.84	38.00	41.63
4	चमड़ा और चमड़े से निर्मित वस्तुएं	1,666.53	1,636.97	1,598.03	37.30	35.76	35.59
5	इंजीनियरिंग सामान	16,841.3	18,200.3	20,397.4	15.41	15.59	16.66
6	उपर्युक्त क्षेत्रों सहित देश के कुल पण्यवस्तु निर्यात में तमिलनाडु की भागीदारी	43,218.2	51,825.18	58,950.7	9.89%	11.84%	13.35%

(घ) सरकार तमिलनाडु सहित देश में निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए निर्यात अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स, बंदरगाहों, औद्योगिक गलियारों और व्यापार सुगमता को मजबूत करने हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इनमें व्यापार अवसंरचना निर्यात योजना (टीआईईएस), राष्ट्रीय संभारतंत्र नीति 2022, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के अंतर्गत औद्योगिक गलियारों का विकास, सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत बंदरगाह आधुनिकीकरण का कार्यान्वयन, व्यापार सुगमता में सुधार, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) की स्थापना, प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, स्टार्ट-अप इंडिया योजना के माध्यम से स्टार्टअप्स को सहयोग देना और जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम के माध्यम से विभिन्न अधिनियमों में प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना शामिल हैं। इसका विवरण निम्नवत है:

i. व्यापार अवसंरचना निर्यात योजना (टीआईईएस) के तहत तमिलनाडु राज्य में 13 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

ii. एक सुसंगत, लागत-प्रभावी और प्रौद्योगिकी संचालित, एकीकृत लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम बनाने के लिए, तमिलनाडु सहित सभी राज्यों को राष्ट्रीय संभारतंत्र नीति (एनएलपी) 2022 के अनुरूप अपनी राज्य संभारतंत्र नीति तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

iii. विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि को गति देने के लिए, भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत औद्योगिक गलियारों के विकास की कार्यनीति अपनाई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हरित औद्योगिक अवसंरचना का विकास करना है।

iv. तमिलनाडु के प्रमुख बंदरगाहों में वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बंदरगाहों पर निर्यात अवसंरचना को मजबूत करने के लिए 12,523 करोड़ रुपये की कुल 94 परियोजनाएं लागू की गई हैं।

V सरकार ने तमिलनाडु राज्य सहित पूरे देश में व्यापार सुगमता (ईओडीबी) को बेहतर बनाने के लिए सुधार किए हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने अनुपालन संबंधी भार को कम करने (आरसीबी) की पहल भी शुरू की है। इसके परिणामस्वरूप, तमिलनाडु राज्य में 2,521 अनुपालन कम किए गए हैं।

vi. देश में निवेशक संबंधी अनुमोदनों और सेवाओं के लिए वन-स्टॉप शॉप की परिकल्पना के साथ, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) की स्थापना निवेशकों को "एंड-टू-एंड" सुविधा और सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी।

vii. पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) को बहुआयामी अवसंरचना की एकीकृत योजना से संबंधित डेटा-आधारित निर्णयों को सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू किया गया था, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आई।

viii. स्टार्ट-अप इंडिया पहल के तहत, सरकार स्टार्ट-अप्स निधि-कोष (एफएफएस), स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड योजना (एसआईएसएफएस), और स्टार्ट-अप्स ऋण गारंटी योजना (सीजीएसएस) जैसी प्रमुख योजनाओं को लागू कर रही है ताकि स्टार्ट-अप्स को उनके व्यावसायिक चक्र के विभिन्न चरणों में वित्तपोषण के अवसर प्रदान किए जा सकें और उनको सहायता प्रदान की जा सके।

(ड.) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण सुविधा, प्रौद्योगिकी उन्नयन और निर्यात संवर्धन को सहायता प्रदान करने के लिए, देश भर में विभिन्न योजनाएँ लागू की गई हैं। इन योजनाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यम ऋण गारंटी योजना (सीजीटीएमएसई), आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) निधि, उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) और एमएसएमई चैंपियंस योजना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एमएसएमई के संवर्धन और विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु, उद्यम पंजीकरण पोर्टल विकसित किया गया है, जो ऑनलाइन, कागज रहित और पारदर्शी एमएसएमई पंजीकरण प्रक्रिया प्रदान करता है। तमिलनाडु सहित देश के निर्यातकों और एमएसएमई को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता, प्रोत्साहन और निर्यात संवर्धन योजनाओं का विवरण निम्नवत है:

i. भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए वर्ष 2025 में निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) शुरू किया गया था, जिसके लिए वर्ष 2026-27 में 2,300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, जिसमें तमिलनाडु के निर्यातकों और संस्थानों के लिए भी आवंटन शामिल था।

ii. निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु (ईपीसीजी) योजना निर्यात के लिए उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर शून्य सीमा शुल्क की अनुमति प्रदान करती है। यह योजना भारतीय निर्यातकों के प्रौद्योगिकी उन्नयन और विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को सहयोग प्रदान करती है।

iii. जिला निर्यात केंद्र (डीईएच) पहल विकेंद्रीकृत निर्यात संवर्धन के लिए जिला स्तरीय फ्रेमवर्क प्रदान करती है। प्रत्येक जिले में, लक्षित कार्यकलापों के लिए व्यवहार्य निर्यात क्षमता वाले 3-5 उत्पादों/सेवाओं की पहचान और प्राथमिकता निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है।

iv. निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना का उद्देश्य निर्यातित उत्पाद पर वर्तमान में अप्रतिदेय शुल्क/कर/लेवी का रिफंड करना है, जिसमें निर्यातित उत्पादों के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले माल और सेवाओं पर पूर्व चरण के संचयी अप्रत्यक्ष कर भी शामिल हैं।

v. अग्रिम प्राधिकार (एए) योजना निर्यात उत्पाद के उत्पादन में वास्तविक रूप से शामिल या उपयोग किए जाने वाले इनपुट के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति प्रदान करती है। तमिलनाडु सहित सभी एमएसएमई शुल्क छूट का लाभ उठा सकते हैं।

vi. एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ईसीजीसी) निर्यातकों को विदेशी क्रेताओं द्वारा वाणिज्यिक और राजनीतिक कारणों से भुगतान न किए जाने के जोखिमों के विरुद्ध ऋण बीमा कवर प्रदान करता है। कंपनी के पूरे भारत में 46 शाखा कार्यालय हैं, जिनमें तमिलनाडु में चेन्नई, चेन्नई साउथ, कोयंबटूर, करूर, मदुरै, सलेम, तिरुपुर और तूतीकोरिन में आठ शाखा कार्यालय शामिल हैं, जो निर्यातकों और बैंकों के लिए स्थानीय संपर्क बिंदुओं के रूप में कार्य करते हैं।

vii. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने संपूर्ण देश में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में 65 निर्यात सुविधा केंद्र (ईएफसी) स्थापित किए हैं, जिनमें तमिलनाडु में 4 केंद्र शामिल हैं, जिनका उद्देश्य एमएसएमई को उनके उत्पादों और सेवाओं के निर्यात में आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना है।

viii. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) योजना का उद्देश्य विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों/सम्मेलनों/संगोष्ठियों/क्रेता-विक्रेता बैठकों में एमएसएमई की भागीदारी को सुगम बनाकर और विभिन्न लागत की प्रतिपूर्ति करके एमएसएमई का क्षमता निर्माण करना है। दिनांक 31 मई 2026 की स्थितिनुसार तमिलनाडु राज्य में इस योजना से लाभान्वित एमएसएमई की संख्या वर्ष 2023-24 से 85 है और कुल जारी की गई राशि 2.18 करोड़ रुपये है।
